# डिज़ाइन कानून संधि (DLT)

## प्रिलिम्स के लिये:

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), डिज़ाइन कानून संधि (DLT), औद्योगिक डिज़ाइन, बौद्धिक संपदा, डिज़ाइन अधिनियम, 2000, ट्रिप्स समझौता, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अधिनियम, 1957।

## मुख्य परीक्षा के लिये:

बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा।

**स्रोत: पी.आई.बी**

## चर्चा में क्यों?

**हाल ही में, भारत** सहित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्य देशों ने **सऊदी अरब के रियाद** में आयोजित डिज़ाइन कानून संधि को संपन्न करने और अपनाने के लिये राजनयिक सम्मेलन में **डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी)** को अपनाया।

## भारत की बौद्धिक संपदा की स्थिति

- **भारत की नवाचार रैंकिंग**: WIPO के वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 में भारत को **133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वाँ स्थान** प्राप्त हुआ है।
  - **मध्य और दक्षिणी एशिया की** 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत **प्रथम स्थान पर** रहा है।
- **भारत की वैश्विक IP रैंकिंग**: भारत सभी तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों- **पेटेंट, ट्रेडमार्क** और **औद्योगिक डिज़ाइन के लिये वैश्विक शीर्ष 10 में स्थान** पर है।
  - वर्ष 2023 में **64,480 पेटेंट आवेदनों** के साथ भारत **विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।**
  - भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय **विश्व में सक्रिय पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या रखता है,** जिसमें **3.2 मिलियन से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत** हैं।
  - भारत के औद्योगिक डिज़ाइन अनुप्रयोगों में वर्ष 2023 में **36.4% की वृद्धि होगी।**
- **IP गतिविधि में वृद्धि:** भारत का **पेटेंट- जीडीपी अनुपात पिछले दशक में 144** से बढ़कर **381 हो गया है,** जो आर्थिक विकास के अनुरूप IP गतिविधि के विस्तार को दर्शाता है।
  - पेटेंट-जीडीपी अनुपात पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का एक माप है।

## डिज़ाइन कानून संधि (DLT) क्या है?

- **DLT के बारे में: DLT को** विश्व में **औद्योगिक डिज़ाइनों की सुरक्षा को** सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिये एक व्यापक ढाँचे के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य लालफीताशाही को दूर करने तथा डिज़ाइनरों के लिये अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा हेतु एक विश्वसनीय और आसानी से संचालित होने योग्य प्रणाली स्थापित करना है।

**प्रमुख प्रावधान:**

- **डिज़ाइन आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:**
  - **उपयोग**: **एक आवेदन में एकाधिक डिज़ाइन की अनुमति प्रदान करता है,** तथा मूल रूप से दाखिल करने की तिथि को सुरक्षित रखता है, भले ही कुछ अस्वीकार कर दिये जाएँ।
  - **स्पष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताएँ**: सभी डिज़ाइन अनुप्रयोगों के लिये **एक समान, स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करता है।**

- प्रतिनिधित्व में लचीलापन: आवेदक औद्योगिक संपत्ति कार्यालयों के समक्ष **डिज़ाइन प्रस्तुत करने** के लिये विभिन्न प्रारूपों **(चित्र, फोटो, वीडियो) का उपयोग कर सकते हैं।**

- **आवेदन करने की प्रक्रिया में सुधार:**
  - **दाखिल संबंधी समय सीमा का सरलीकरण: आवेदक प्रारंभ में आवश्यक भागों को** जमा करके दाखिल करने की तिथि सुरक्षित कर सकते हैं, बाद में संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
  - **सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिये अनुग्रह अवधि: छह या 12 महीने की अनुग्रह अवधि,** दाखिल करने से पहले प्रकट किये गए डिज़ाइनों की नवीनता की रक्षा करती है।
- **पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया और सुरक्षा:**
  - **प्रकाशन नियंत्रण**: आवेदक **आवेदन दाखिल करने के बाद छह महीने तक प्रकाशन को नियंत्रित कर सकते हैं,** जिससे गोपनीयता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ सुनिश्चित होता है।
  - **समय सीमा में चूक होने पर राहत उपाय : समय सीमा से चूकने वाले** आवेदकों को **राहत प्रदान** की जाएगी, जिससे उनके अधिकारों का नुकसान रोका जा सकेगा।
  - **अनुदान-पश्चात लेनदेन स्पष्ट :** पंजीकरण-पश्चात प्रक्रियाएँ (जैसे, स्थानांतरण, लाइसेंसिंग) आसान प्रबंधन और प्रवर्तन के लिये स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएंगी।
- **द्वि-स्तरीय संरचना:** संधि में **अनुच्छेद** (संधि के मुख्य प्रावधान) और **नियम** (कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले विनियम) शामिल होंगे।
  - **अनुबंधकारी पक्षों** की सभा डिज़ाइन कानून और प्रौद्योगिकी में **परिवर्तन के अनुकूल होने** के लिये नियमों में संशोधन कर सकती है।

## औद्योगिक डिज़ाइन क्या है?

- **परिचय:** औद्योगिक डिज़ाइन एक **सजावटी प्रकृति** की **मौलिक रचना** है, जिसे जब **किसी उत्पाद में शामिल** किया जाता है या **उस पर लागू किया जाता है,** तो वह उसे **विशेष रूप** प्रदान करता है।
  - ये विशेषताएँ इसके **आकार, रेखाओं, रूपरेखा, विन्यास, रंग, बनावट या सामग्री** के कारण हो सकती हैं।
  - एक डिज़ाइन **त्रि-आयामी** हो सकता है, जैसे किसी उत्पाद का आकार, या **द्वि-आयामी** हो सकता है, जैसे किसी विशिष्ट सतह पैटर्न में।
  - यह एक **बौद्धिक संपदा (IP)** है जो मानव मस्तिष्क की **अमूर्त रचनाएँ** हैं जिनका मूल्य है लेकिन वे भौतिक वस्तुएँ नहीं हैं।
- **अनुप्रयोग:** डिज़ाइनों को उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर लागू किया जाता है, जैसे **पैकेजिंग, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, हस्तशिल्प वस्तुएँ और आभूषण।**

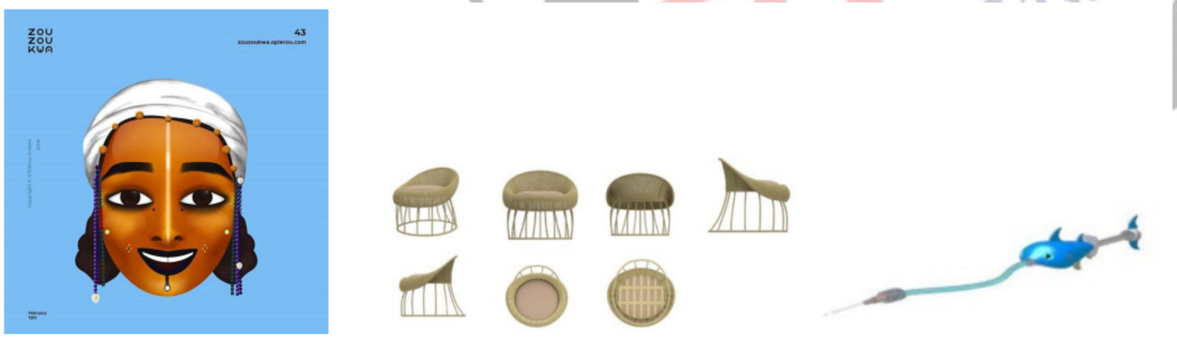

Emoji | Bench | Pediatric dosing syringe

- **महत्त्व:** डिज़ाइन **व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ** हैं जो किसी उत्पाद के **बाज़ार मूल्य** को बढ़ा सकती हैं और प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती हैं।
  - उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिये आकर्षक बनाकर, डिज़ाइन **उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित** करता है।
- **संरक्षण:** डिज़ाइनरों को उस देश के **बौद्धिक संपदा (IP) कार्यालय** द्वारा निर्धारित फाइलिंग प्रक्रियाओं का पालन करना होगा जिसमें वे संरक्षण चाहते हैं।
  - डिज़ाइन अधिकार **प्रादेशिक** होते हैं, अर्थात् किसी एक **देश (या क्षेत्र)** में प्राप्त संरक्षण से उत्पन्न अधिकार उस देश (या क्षेत्र) तक ही सीमित होते हैं।
  - भारत में औद्योगिक डिज़ाइनों का पंजीकरण और संरक्षण **डिज़ाइन अधिनियम, 2000** द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- **भारत में औद्योगिक डिज़ाइन: वर्ष 2014-24** के बीच भारत में डिज़ाइन पंजीकरण में **तीन गुना वृद्धि** हुई, अकेले पिछले **दो वर्षों** में घरेलू पंजीकरण में **120%** की वृद्धि हुई है।
  - उल्लेखनीय रूप से, **वर्ष 2023 में** डिज़ाइन अनुप्रयोगों में **25%** की वृद्धि हुई।

## विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- **परिचय: WIPO संयुक्त राष्ट्र** की एक **विशेष एजेंसी** है जिसे **वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधि** को प्रोत्साहित करने और विश्व भर में **बौद्धिक संपदा** की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था।
- **भूमिका :** IP की सुरक्षा के लिये सेवाएँ प्रदान करना, IP से संबंधित मुद्दों के लिये मंच प्रदान करना, तथा वैश्विक निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिये डेटा और सूचना प्रदान करना।
- **सदस्यता :** इसके **193 सदस्य देश** हैं। भारत वर्ष 1975 में WIPO में शामिल हुआ।

## डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण प्रावधान क्या हैं?

- **पात्रता:** यदि डिज़ाइन **सौंदर्यपरक प्रकृति** के हैं और **वस्तुओं पर लागू होते हैं तो उन्हें संरक्षित** किया जाता है।
    - संरक्षण केवल वस्तु के सौंदर्य पर लागू होता है, **उसके कार्यात्मक पहलुओं पर नहीं।**
    - संरक्षण प्राप्त करने के लिये डिज़ाइन को **डिज़ाइन रजिस्ट्री** में पंजीकृत होना चाहिये।
- **सुरक्षा हेतु आवश्यकताएँ:**
    - **नवीनता और मौलिकता:** डिज़ाइन नया होना चाहिये और मौजूदा डिज़ाइनों से काफी अलग होना चाहिये।
    - **अप्रकटीकरण:** डिज़ाइन का भारत या विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिये।
    - **कार्यात्मक नहीं:** कार्यात्मकता से प्रेरित डिज़ाइन संरक्षित नहीं हैं।
    - **आपत्तिजनक नहीं:** डिज़ाइनों को सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा, या अखंडता के साथ टकराव नहीं होना चाहिये।
- **संरक्षण की अवधि:** ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण कम से कम **10 वर्षों** तक रहता है **जिसे** नवीकरण आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त **5 वर्षों के लिये बढ़ाया** जा सकता है।
- **उल्लंघन और प्रवर्तन:** पंजीकृत डिज़ाइन स्वामी दूसरों को उनके डिज़ाइन की **नकल करने वाले** उत्पाद **बनाने, बेचने या आयात करने** से **रोक सकते हैं।**
- **संरक्षण से बाहर रखे गए डिज़ाइन:** कुछ वस्तुएँ जैसे **टिकट, कैलेंडर, पुस्तकें, झंडे, और इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिज़ाइन को** औद्योगिक डिज़ाइन संरक्षण से बाहर रखा गया है।
    - डिज़ाइन में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत परिभाषित **ट्रेडमार्क, संपत्ति चिह्न या कोई कलात्मक अधिकार** शामिल **नहीं** हो सकते।

# बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।

## IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।

## संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- **WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):**
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 **(पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।**
  - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 **(कॉपीराइट)।**
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:**
  - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
  - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- **बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:**
  - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- **मर्राकेश VIP समझौता, 2016:**
  - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को **अनुच्छेद 27** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।

## भारत की पहल और IPR

- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:**
  - **आदर्श वाक्य:** "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
  - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
  - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
  - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन **(NIPAM)**
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम **(KAPILA)**

**विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल**

| बौद्धिक संपदा | संरक्षण | भारत में कानून | अवधि |
|---|---|---|---|
| **कॉपीराइट** | विचारों की अभिव्यक्ति | कॉपीराइट अधिनियम 1957 | परिवर्तनीय |
| **पेटेंट** | आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि। | भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 | सामान्यतः 20 वर्ष |
| **ट्रेडमार्क** | व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न | व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 | अनिश्चित काल तक रह सकता है |
| **ट्रेड सीक्रेट** | व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता | पंजीकरण के बिना संरक्षित | असीमित समय |
| **भौगोलिक संकेत (GI)** | विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हों | वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 | 10 वर्ष (नवीकरणीय) |
| **औद्योगिक डिज़ाइन** | किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू | डिज़ाइन अधिनियम, 2000 | 10 वर्ष |

Drishti IAS

## औद्योगिक डिज़ाइन संबंधी निर्णय

- ***[illegible], 2016:*** रितिका (एक बुटीक प्रधान डिज़ाइनर) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बीबा पर **कपड़ों के पुनरुत्पादन एवं बिक्री** के संदर्भ में मुकदमा दायर किया, जिसमें **रितिका के डिज़ाइनों की नकल की गई थी** जबकि ये डिज़ाइन, **डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत नहीं** थे।

    - इसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये डिज़ाइन, डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत **पंजीकृत नहीं थे और इस प्रकार इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है**।
- ***[illegible] USA [illegible], 2019:*** क्रॉक्स इंक USA ने दिल्ली उच्च न्यायालय में विभिन्न भारतीय फुटवियर निर्माताओं के खिलाफ **डिज़ाइन उल्लंघन** का मुकदमा दायर किया।
    - इसमें न्यायालय ने कहा कि क्रॉक्स इंक USA इसमें **उल्लंघन या चोरी का आरोप नहीं लगा सकता है** क्योंकि कथित डिज़ाइन में **नवीनता तथा मौलिकता का अभाव है** तथा डिज़ाइन का विभिन्न माध्यमों से पूर्व प्रकाशन हो चुका है।

## निष्कर्ष

**डिज़ाइन कानून संधि (DLT) का** उद्देश्य **औद्योगिक डिज़ाइनों की वैश्विक सुरक्षा को सरल बनाना है जिससे डिज़ाइनरों के लिये अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना** आसान एवं अधिक सुलभ हो सके। इससे एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया (जिसमें डिज़ाइन, ग्रेस पीरियड और पंजीकरण के बाद की स्पष्ट प्रक्रियाओं के प्रावधान हैं) सुनिश्चित होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिज़ाइन सुरक्षा मज़बूत होती है।

***[illegible]:***

**प्रश्न:** औद्योगिक डिज़ाइन क्या है? हाल ही में अपनाई गई डिज़ाइन कानून संधि (DLT) का उद्देश्य इसे किस प्रकार संरक्षित करना है?

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)**

1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है।
2. औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिये केन्द्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) हैं।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: (c)**

---

**प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)**

1. भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।
2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है।
3. पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (c)**

---

## ***[illegible]***

**प्रश्न: वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिये। (2014)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/design-law-treaty-dlt-